

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 155/2020 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2020/00152

1. बजरंग लाल पुत्र स्व. नथमल जाति कुम्हार निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर।
2. मु. कमला पुत्री नथमल जाति कुम्हार निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर।

— अपीलान्ट्स



बनाम

1. परमेश्वरी पत्नि श्री बनवारी लाल जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
2. रामेश्वर पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
3. रामकुमार पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जि ला हिसार।
4. चावली पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
5. कुन्ता पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
6. कुना देवी पि मु. जेता पत्नि सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
7. मु. सरबती पत्नि श्री रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
8. भूप सिंह पि.मु. कढी पत्नि हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
9. कुरडाराम पि.मु. कढी पत्नि हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
10. राम सिंह पि.मु. कढी पत्नि हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
11. नेकीराम पुत्र मु. कढी पत्नि हजारीराम जाति बिश्नोई निवासी धोलू तहसील फातियाबाद जिला हिसार।
12. मु. इन्द्रा देवी बेवा नथमल जाति कुम्हार निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

13. मु. सरोज पुत्री नथमल जाति कुम्हार निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर।
14. मु. संतोष पुत्री नथमल जाति कुम्हार निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत जिला बीकानेर।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री ओमप्रकाश जोशी
श्री रामचन्द्र सिंह भाटी

अभिभाषक अपीलांट्स
अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स



निर्णय

दिनांक 17.06.2022

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के निर्णय दिनांक 23.07.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि -

1- वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम कानासर राजस्व तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 183 की 21.7 बीघा खातेदारी भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 370 दिनांक 06.10.1982 को अपीलांट्स के पिता के नाम दर्ज हो गया। इंतकाल संख्या 370 के विरुद्ध रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 11 ने न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिला कलक्टर बीकानेर ने दिनांक 23.07.2019 को रेस्पोंडेंट्स की उक्त अपील को रिमाण्ड करते हुए आंशिक स्वीकार कर ग्राम पंचायत कानासर के अपीलाधीन इंतकाल संख्या 370 दिनांक 06.10.1982 को निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर बीकानेर ने तहसीलदार बीकानेर को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विधिसम्मत आदेश पारित करने का निर्णय पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 23.07.2019 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट संख्या 8 ता 14 के निमित रजिस्टर्ड सम्मन प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में रेस्पोंडेंट संख्या 8 ता 14 के निमित रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये। रेस्पोंडेंट संख्या 8 ता 14 के निमित रजिस्टर्ड जारी करने के बावजूद भी आदिनांक तक रेस्पोंडेंट संख्या 8 ता 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


District Judge
राजस्थान न्यायालय
बीकानेर

अतः रेस्पोजेन्ट संख्या 8 ता 14 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अगल में लायी जाती है।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री ओमप्रकाश जोशी ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि वाके रोही कानासर राजस्व तहसील बीकानेर में स्थित खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के अपीलांट्स एकमात्र काबिज खातेदार है। अपीलांट्स के पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त भूमि का कभी भी बेचान नहीं किया गया। रेस्पोजेन्ट्स द्वारा दिनांक 08.07.1963 को वादग्रस्त कृषि भूमि को अपीलांट्स के पूर्वजों से क्रय करना बताया है, जबकि गैर खातेदारी भूमि का बेचान ही संभव नहीं है। बैयनामा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। नथमल पुत्र जमनाराम के देहान्त हो जाने पर इंतकाल संख्या 109 दिनांक 18.07.2007 को विरासतन इंतकाल उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 द्वारा स्वीकृत किया गया। वर्तमान में भी अपीलांट्स का नाम बतौर खातेदार टिनेन्ट के रूप में अंकित चला आ रहा है। वारिसान रेस्पोजेन्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर ना तो कब्जा है और ना ही इंतकाल दर्ज हुआ है। वादग्रस्त भूमि के उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल हो जाने के कारण उक्त क्षेत्र के खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये गये थे एवं उपनिवेशन क्षेत्र में राजस्थान के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी जोत को स्थानान्तरित करने के अधिकार नहीं थे। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 के अनुसार भूमि विक्रय करते समय उन्ही शर्तों/नियमों का पालन किया जाता है जिन नियमों के तहत आवंटन की कार्यवाही की जाती है। इन तथ्यों की ओर अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई। मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी उचित आधार के स्वीकार कर लिया, जो काबिले खारिज है। विरासतन इंतकाल संख्या 370 दिनांक 06.10.1982 को आधारहीन निर्णय पारित करते हुए उक्त इंतकाल को खारिज कर दिया। नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड को अद्यतन करने की प्रक्रिया है, उससे किसी के अधिकार न तो उत्पन्न होते हैं और न ही समाप्त होते हैं। यदि रेस्पोजेन्ट्स के पास कोई बैयनामा है तो उक्त तथाकथित बैयनामों के आधार पर अपने अधिकारों




संभाषक आयुक्त
बीकानेर

की सक्षम न्यायालय से घोषणा करवा सकते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.07.2019 निरस्त फरमाया जावे।

3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स श्री रामचन्द्र सिंह भाटी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर तथ्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया। मूल खातेदार जमना पुत्र लिक्ष्मणराम ने आराजी मुतनाजा 21.07 बीघा भूमि दिनांक 08.07.1963 को रेस्पोंडेन्ट को विक्रय कर दी। बैयनामा निष्पादित होने पर मूल खातेदार के अधिकार समाप्त हो जाते है। अपीलांट्स को आराजी मुतनाजा को विक्रय करने के बाद विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र से मूल खातेदार जमनाराम द्वारा आराजी मुतनाजा का कब्जा रेस्पोंडेन्ट्स खरीददारों को दिया जा चुका है। पंजीबद्ध बैयनामा सक्षम न्यायालय में न तो पेश हुआ है और न ही निरस्त हुआ है जमनाराम ने खसरा नंबर 183 में 21.07 बीघा भूमि दिनांक 8.7.1963 को प्रतिफल राशि प्राप्त रेस्पोंडेन्ट खरीददार को विक्रय कर भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया। राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 141 अनुसार हस्तांतरण के रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजों के संबंध में इंतकाल संबंधी समस्त कार्यवाही एक निश्चित प्रक्रिया है, जिसका दायित्व राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों का है। न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः विधिसम्मत नामान्तरकरण दर्ज करने के निर्देश दिये है। अपीलांट ने उक्त निर्देशों की पालना रोकने के लिए यहां अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4- हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम कानासर राजस्व तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 183 की 21.7 बीघा खातेदारी भूमि है। तहसीलदार राजस्व बीकानेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफ के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अपीलांट का है तथा प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार अपीलांट्स के नाम राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी जोत को स्थानान्तरित करने के अधिकार नहीं थे। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधिनस्थ





संभाषक
बीकानेर

न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2019 उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.07.2019 निरस्त किया जाता है। अप्रार्थीगण बैयनामा दिनांक 08.07.1963 के संबंध में सक्षम न्यायालय में चारोजोही हेतु स्वतंत्र है।

5- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर